

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)/
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18 संस्थागत क्षेत्र/ 18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग/Shahed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली/110016 – New Delhi -110016
दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570
Email- budget.section@kvs.gov.in

F.No.110242/KVS(HQ)/Budget/UBI Fees/2025-2026

Date:30.03.2026

All Deputy Commissioners/Directors
Kendriya Vidyalaya Sangathan
Regional Offices/ZIETs

Sub: - Discontinuation of Fee Payment through Challan at the counter of Union Bank of India -reg

Madam/Sir,

With reference to the subject cited above, it is stated that competent authority of KVS has decided to withdraw the option of payment of fees by the students through off line mode (payment of fees through challan at the counter of Union Bank of India) with effect from 01.4.2026. As such, challans for off line fees payment **shall not be** generated by the UBI Fee Portal System from 01.4.2026 onwards and challan already generated before 01.4.2026, if any, shall also not be valid for payment of fees at the Branch of Union Bank of India. However, following options for payment of fees through online mode, already available in the system, will be continued.

1. Debit Cards – Visa, MasterCard, Maestro, RuPay, etc.
2. Credit Cards – Visa, MasterCard, RuPay, etc.
3. Internet Banking / Mobile Banking
4. UPI (Unified Payments Interface)
5. Bharat Bill Pay-enabled channels/apps supporting multiple payment modes
6. POS Machines (wherever there is no bank branch within a radius of 8 km from the Kendriya Vidyalaya)

All the Deputy Commissioners are requested to disseminate the contents of this letter amongst the students and all other stake holders before 31.3.2026 so that the students/parents may not face any problem in payment of fees from 01.4.2026 onwards.

This is issued with the approval of the competent authority.

Yours sincerely

(Satya Narain Gulia)
Joint Commissioner (Finance)

Copy to: -

1. PS to Commissioner, KVS for Information.
2. PS to Additional Commissioner (Admn), KVS for Information.
3. AC(IT), KVS (HQ) for uploading of this letter on the Website of KVS
4. Assistant Manager, Saket Branch, Union Bank of India for information and necessary action.

Joint Commissioner (Finance)



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)/
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18 संस्थागत क्षेत्र/ 18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग/Shahed Jeet Singh Marg,
नई दिल्ली/110016 – New Delhi -110016
दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570
Email- budget.section@kvs.gov.in

F.No.110242/KVS(HQ)/Budget/UBI Fees/2025-2026

Date:30.03.2026

उपायुक्त/निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/जिट्स

विषय: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर पर चालान के माध्यम से फीस भुगतान बंद किए जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि केवीएस के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.04.2026 से विद्यार्थियों द्वारा ऑफलाइन माध्यम (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर पर चालान के माध्यम से फीस भुगतान) से फीस भुगतान की सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अतः 01.04.2026 से यूबीआई शुल्क पोर्टल प्रणाली द्वारा ऑफलाइन शुल्क भुगतान हेतु चालान जनरेट नहीं किए जाएंगे तथा 01.04.2026 से पूर्व जनरेट किए गए चालान, यदि कोई हों, वे भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में फीस भुगतान हेतु मान्य नहीं होंगे।


हालांकि, ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान के लिए प्रणाली में पहले से उपलब्ध निम्नलिखित विकल्प यथावत जारी रहेंगे।

1. डेबिट कार्ड – वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये आदि
2. क्रेडिट कार्ड – वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपये आदि
3. इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग
4. यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)
5. भारत बिल पे सक्षम चैनल/ऐप्स, जो विभिन्न भुगतान माध्यमों का समर्थन करते हैं
6. पीओएस मशीनें (जहाँ केन्द्रीय विद्यालय से 8 किमी के दायरे में बैंक शाखा उपलब्ध नहीं है)

सभी उपायुक्तों से अनुरोध है कि वे इस पत्र को दिनांक 31.03.2026 से पूर्व विद्यार्थियों एवं अन्य सभी संबंधित हितधारकों तक प्रसारित करें, ताकि 01.04.2026 से शुल्क भुगतान में विद्यार्थियों/अभिभावकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

भवदीय,


(सत्य नारायण गुलिया)
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, आयुक्त, केवीएस को जानकारी हेतु।
2. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशासन), केवीएस को जानकारी हेतु।
3. सहायक आयुक्त (आईटी), केवीएस (मुख्यालय) को इस पत्र को केवीएस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सहायक प्रबंधक, साकेत शाखा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (वित्त)